रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-10072021-228226
CG-DL-W-10072021-228226

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 21] नई दिल्ली, जून 27 - जुलाई 3, 2021, शनिवार/ आषाढ़ 6 - आषाढ़ 12, 1943
No. 21] NEW DELHI, JUNE 27 - JULY 3, 2021, SATURDAY/ ASHADHA 6 - ASHADHA 12, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 28 जून, 2021

सा.का.नि. 61.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के सहायक महारजिस्ट्रार(मानचित्र) समूह "क" पद भर्ती नियमों 2011 के अधिक्रमण में, इस प्रकार के अधिक्रमण करने से पूर्व किए गए कार्य या छोड़े गए किए जाने वाले कार्य के अतिरिक्त, राष्ट्रपति भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, गृह मंत्रालय में, सहायक महारजिस्ट्रार (मानचित्र), पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—** (1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, गृह मंत्रालय सहायक महारजिस्ट्रार (मानचित्र), समूह "क" भर्ती नियम, 2021 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे मैट्रिक्स में लेवल.—** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, उससे जुड़ी पे मैट्रिक्स में लेवल वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न उल्लिखित अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उल्लिखित अनुसूची के कालम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हताएं.—** वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यदि संतुष्ट है कि, ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति .—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग की सलाह से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन अथवा अचयन पद है	सीधे भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक महारजिस्ट्रार (मानचित्र)	1* (2021) * कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य, केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	12(रु. 78800-209200)	लागू नहीं	50 वर्ष से अधिक न हो (केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मियों के लिए पांच वर्षों की छूट।) **नोट**: आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई विज्ञापन के अनुसार होगी।

सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भूगोल में स्नातकोत्तर उपाधि; (ii) प्रायौगिक नक्शानवीसी (अप्लाइड कार्टोग्राफी) में दो वर्ष के अनुभव के साथ केंद्र सरकार या राज्य सरकारें या केंद्र शासित प्रदेश या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या वैधानिक या स्वायत्त संगठन के अंतर्गत मानचित्र प्रकाशन कार्यालय में मानचित्र प्रकाशन में दस वर्ष का अनुभव। **वांछनीय** : (i) **किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भूगोल में डॉक्टरेट की उपाधि** ; (ii) **नक्शानवीसी (कार्टोग्राफी) या भौगोलिक सूचना प्रणाली पर अनुसंधान प्रकाशन**; (iii) **किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सांख्यिकीय विधियों/पद्यतियों पर प्रमाण पाठ्यक्रम (सर्टिफिकेट कोर्स)।** **नोट 1:** अन्यथा अच्छी तरह से योग्य उम्मीदवारों के मामले में, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के विषय में, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकाधिकार पर योग्यता में छूट दी जा सकती है, **नोट 2**: अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के विषय में, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकाधिकार पर योग्यता में छूट दी जा सकती है, यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय होती है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं	सीधी भर्ती हेतु एक वर्ष	समग्र विधि प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा/अनुबंध सहित) के अतिरिक्त पदोन्नति, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति/आमेलन की दशा में भर्ती, ग्रेड जिनमें से पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां जब भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
समग्र विधि प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा/अनुबंध सहित) के अतिरिक्त **पदोन्नति:** केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों अथवा सांविधिक संगठनों या स्वायत्त निकायों के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी (क)(i) जो अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर हों; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में पे मैट्रिक्स लेवल/स्तर 11 (रूपये 67700-208700) या समक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों; और (ख) कॉलम (7) के तहत/अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हताएँ एवं अनुभव रखते हों। **नोट:** पे मैट्रिक्स लेवल-11 (67700-208700 रुपये) ग्रेड में पांच साल की नियमित सेवा रखने वाले तथापि प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले विभागीय मानचित्र अधिकारी का बाहरी लोगों के साथ विचार किया जाता है और यदि विभागीय उम्मीदवार का पद पर नियुक्ति के लिए चयन किया जाता है; तो इसे पदोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा। **नोट** 1: केंद्र सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य बाह्य-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा/अनुबंध सहित) सामान्यत: चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा/ अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	**समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (सीधी भर्ती की पुष्टि/स्थायीकरण पर विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:** 1. भारत के महारजिस्ट्रार - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य 3. भारत के अपर महारजिस्ट्रार अथवा भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार, - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं ए-51011/15/2018-प्रशा. V]

एस. एन. शर्मा, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA)

New Delhi, the 28th June, 2021

G.S.R. 61.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Office of the Registrar General, India, Assistant Registrar General (Map) Group ‘A’ Post Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Registrar General (Map), in the Ministry of Home Affairs, Office of the Registrar General, India, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Office of the Registrar General, India, Assistant Registrar General (Map) Group ‘A’ post Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.-** The number of the said post, its classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.-**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-**Where the CentralGovernment is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay level in the pay matrix	Whether selection post/ non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Registrar General (Map)	1* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General, Central Service, Group ‘A’, Gazetted, Non- Ministerial.	12 (Rs. 78800-209200)	Not applicable	Not exceeding 50 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential : (i) Masters Degree in Geography from a recognized University; (ii) Ten years' experience in map publication in a map publication office under the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous Organizations including two years' experience in applied cartography. **Desirable : -** (i) Doctorate Degree in Geography from a recognized University; (ii) Research publications on Cartography or Geographical Information System; (iii) Certificate course in Statistical methods from a recognized University or Institute. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**:The Qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	one year for direct recruitment.	Composite method deputation(including short term contract) plus promotion failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Composite method deputation(including short term contract) plus promotion: Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or	**Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation of DR):** 1. Registrar General, India - Chairman;	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post.

Universities or RecognizedResearch Institutions or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous Organizations: - (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the posts in level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note:** The departmental Map Officer in level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix having five years' regular services in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered alongwith outsiders and if the departmental candidate is selected for appointment to the post; it shall be treated as having been filled by promotion **Note 1:** Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.	2. Joint Secretary, Ministry of Home Affairs - Member; 3. Additional Registrar General, India or Joint Registrar General, India - Member.	

[F. No. A-51011/15/2018-Ad-V]

S. N. SHARMA, Dy. Secy.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 28 जून, 2021

सा.का.नि. 62 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, केंद्रीय कृषि उघान संस्थान, (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2014, जहाँ तक उनका संबंध निदेशक के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग , केंद्रीय कृषि उघान संस्थान, मेड्ज़िफेमा, नागालैंड में निदेशक समूह 'क' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (।) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय कृषि उद्यान संस्थान, मेड्ज़िफेमा, नागालैंड, निदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और संलग्न वेतन मैट्रिक्स में उसके स्तर, जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वह होंगी जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:-

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्धारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्धारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे-भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
1. निदेशक	1* (2021) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह, 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-13क (रु. 1,31,100-2,16,600/-)	लागू नही होता	लागू नही होता

सीधे-भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे-भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा कि अवधि यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्धारा प्रतिनियुक्तिआमेलन / द्धारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्धारा भरी जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10
लागू नही होता	लागू नही होता	लागू नही होता	प्रतिनियुक्ति द्धारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जायेगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने मे किन परिस्थितियो मे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
11	12	13
प्रतिनियुक्ति द्धारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या लोक सेवा उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या कृषि विश्वविधालय या अर्धसरकारी या कानूनी या स्वायत संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी-: (क) (i) जिन्होने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (रू. 1,18,500-2,14,100/-) या समकक्ष मे नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है; (iii) जिन्होने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (रू. 78,800-2,09,200/-) या समकक्ष मे नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षित अहर्ता और अनुभव है -: (i) किसी मान्यता प्रापृत विश्वविधालय से कृषि मे या कृषि उधान में मास्टर डिग्री; (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से कृषि मे या कृषि उधान में डॉक्टरेट; (iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या लोक सेवा उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या कृषि विश्वविधालय या अर्धसरकारी या कानूनी या स्वायत संगठनों में कृषि उधान विकास या कृषि उधान अनुसंधान के क्षेत्र में 12 वर्ष का अनुभव । **टिप्पण - 1** प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण –2** प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 43-04/2019-एमआईडीएच, टेक.-I (ई-70841)]

दिनेश, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

New Delhi, the 28th June, 2021

G.S.R. 62.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation, Central Institute of Horticulture, Medzhiphema, Nagaland, Group ‘A’ and Group ‘B’ Posts) Recruitment Rules, 2014, in so far as they relate to the post of the Director, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director, Group ‘A’ post in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Central Institute of Horticulture, Medziphema, Nagaland, namely:-

1. **Short title and commencement**.–(1) These rules may be called the Central Institute of Horticulture, Medziphema, Director (Group `A’ Post) Recruitment Rules, 2021.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix. -** The number of said post, its classification and level in pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Disqualification.** – No person, –

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reason(s) to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, by order and for reason(s) to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
1. Director	1* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group ‘A’, Gazetted, Non-Ministerial	Level-13A (Rs.1,31,100- 2,16,600/-)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
7	**8**	**9**	**10**
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation (including short- term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	**12**	**13**
Deputation (including short-term contract): Officers under the Central or State Government or Union territory Administration or public sector undertaking or recognized research Institutes or Agricultural university or statutory or autonomous organizations: (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 13 (Rs. 1,18,500-2,14,100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; (iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 12 (Rs. 78,800-2,09,200) in the pay matrix in the parent cadre or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) Master's Degree in Agriculture or Horticulture from a recognized University; (ii) Doctorate in Agriculture or Horticulture from a recognized University; (iii) Twelve years' experience in the field of horticultural development or horticulture research in Central or State Government or Union territory or public sector undertaking or recognized research Institutes or Agricultural University or statutory or autonomous organizations. **Note:-1** Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. **Note:-2** The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed fifty six years as on closing date of receipt of applications.	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. 43-04/2019-MIDH, Tech-I (E-70841)]

DINESH, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 जून, 2021

सा.का.नि. 63.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, उप सहायक निदेशक(गैर मेडिकल) भर्ती नियम, 1979 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में उप सहायक निदेशक(गैर मेडिकल) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, उप सहायक निदेशक(गैर-चिकित्सा) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद–संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि -** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथबा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप सहायक निदेशक (गैर-चिकित्सा)	14* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनतुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रुपये)	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

					टिप्पण: आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह तारीख होगी ज़ो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य: 1. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान में मास्टर/जीव रसायन या सूक्ष्मजीव विज्ञान में पशु-चिकित्सा विज्ञान में मास्टर की डिग्री; और 2. मानव जीव-विज्ञान संबंधी उत्पाद तैयार करने या चिकित्सा सूक्ष्म-जीव विज्ञान या वाइरस विज्ञान या जीव-रसायन या रोग प्रतिरक्षा विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान संबंधी तीन वर्ष का अनुभव। **वांछनीय:** मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जीव-रसायन या सूक्ष्म जीव-विज्ञान या प्रतिरक्षा-रसायन में पीएच.डी. । **टिप्पण-1**: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । **टिप्पण-2** : अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के	(i) आयु – नहीं (ii) शैक्षिक अर्हताएं-हाँ	एक वर्ष।	67% सीधी भर्ती द्वारा और 33% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्प-कालिक संविदा भी है।)

लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : ऐसे तकनीकी अधिकारी जिन्होंने वेतन मॅट्रिक्स में स्तर - 7 (44900-142400 रुपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो और केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली से विनिर्माण या उत्पादन और इम्यूनोबायोलॉजिकल के परीक्षण में चार सप्ताह का आज्ञापक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन ऐसे अधिकारी जिन्होंने: (क)(i) वर्तमान काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य - अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग - सदस्य, 3. स्वास्थ्य सेवाओं के उप महानिदेशक/ स्वास्थ्य सेवाओं के सहायक महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य, 4. प्रशासन के निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली से संबंधित)- सदस्य। **विभागीय पुष्टि समिति, पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग - अध्यक्ष, 2. स्वास्थ्य सेवाओं के उप महानिदेशक/ स्वास्थ्य सेवाओं के सहायक महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य, 3. प्रशासन के निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली से संबंधित) - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

(ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 या स्तर-9 में नियमित आधार पर उसकी नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव रखता हो। **टिप्पण 1**:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2**:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. ए.12018/06/2014-ईपीआई]

जी. के. पिल्लई, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi the 24th June, 2021

G.S.R. 63.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Research Institute, Kasauli, Deputy Assistant Director (Non-Medical), Recruitment Rules,1979, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Assistant Director (Non-Medical) in the Central Research Institute, Kasauli, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, the Central Research Institute, Kasauli, Deputy Assistant Director (Non- Medical) Recruitment Rules, 2021

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay level in the pay matrix. - The number of post, its classification, pay level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No persons, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other backward classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether Selection or Non-selection	Age-limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Deputy Assistant Director (Non-Medical)	14 * (2021) *subject to variation depending on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-ministerial	Level-10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix	Selection	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government Servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: 1. Master of Science/Masters in Veterinary Science Degree in Bio-Chemistry or Microbiology from a recognized University or Institute; and 2. Three years experience in manufacturing of human biological products or in research in the field of medical Microbiology or virology or Bio-Chemistry or Immunology. **Desirable** : Ph. D. in Biochemistry or Microbiology or Immuno-Chemistry from a recognized University or Institute.	(i) Age – No (ii) Educational Qualifications - Yes	One year.	67% by direct Recruitment and 33% by promotion failing which Deputation (Including Short-Term Contract).

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.			

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion : Technical Officers in the Level-7 (R. 44900-142400/-) in the Pay Matrix with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis, and have successfully completed mandatory training of four weeks in the manufacturing or production and testing of immunobiologicals at Central Research Institute, Kasauli. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract)** Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies or Statutory Bodies or Universities or Recognised Research Institutes : (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or	**Departmental Promotion Committee for considering promotion consisting of:** (i) Chairman/Member Union Public Service Commission : Chairman (ii) Joint Secretary, Department of Health : Member (iii) Deputy Director General of Health Services/Assistant Director General of Health services, Directorate General of Health Services : Member (iv) Director of Administration, Directorate General of Health Services (Dealing with Central Research Institute, Kasauli) : Member **Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of:** (i) Joint Secretary, Department of Health : Chairman (ii) Deputy Director General of Health Services/Assistant Director General of Health services, Directorate General of Health Services :Member (iii) Director of Administration,Directorate General of Health Services (Dealing with Central Research Institute, Kasauli) :Member	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

(ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-8 or Level-9 of the pay matrix; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1**: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be Not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A.12018/06/2014-EPI]

G. K. PILLAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 जून, 2021

सा.का.नि. 64.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का (आशुलिपिक) भर्ती नियम, 2001 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का, उड़ीसा में आशुलिपिक श्रेणी-2 के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का, उड़ीसा, आशुलिपिक श्रेणी-2 (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक श्रेणी-2	01* (2021) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500 -81100/-रु.)।	लागू नहीं होता ।	18 और 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य हो। (ii) कौशल रक्षता मानक:- श्रुतलेख : 10 मिनट की अवधि में प्रति मिनट 80 शब्द प्रतिलेखन:- 65 मिनट (अग्रेंजी) 75 मिनट (हिन्दी) (हस्तटंकण पर) या 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 मिनट (हिन्दी) (कंप्यूटर पर)	लागू नहीं होता	दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी, जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता और अनुभव हो।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे** :- 1. निदेशक, प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का - अध्यक्ष; 2.उप-निदेशक/सहायक निदेशक,प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का - सदस्य; 3.चिकित्सा अधिकारी, प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का -सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा.सं. ए-12018/29/2018-कुष्ठ]

शोरन सिंह अवर सचिव,

New Delhi, the 30th June, 2021

G.S.R. 64.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska (Stenographer) Recruitment Rules, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade II in the Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska, Odisha, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska, Odisha, Stenographer Grade II (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix.- The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the ex-Servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer Grade II.	01*(2021) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-gazetted, Ministerial.	Level-4(Rs.25500-81100/-).	Not applicable	Between 18 and 27 years. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note** : the crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(i)12th class pass or equivalent from a recognised Board or University. (ii)Skill Test Norms: Dictation: 10 Minutes @ 80 word per minute. Transcription: 65 Minutes (Eng.) 75 Minute (Hindi) (On Manual Typewriter) or 50 Minute (Eng.) 65 Minute (Hindi) (On Computer)	Not applicable	Two years	By direct recruitment through Staff Selection Commission. **Note:-** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation /absorption, grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1.Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska - Chairman; 2.Deputy Director/Assistant Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska - Member; 3.Medical Officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska -Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/29/2018-Lep]

SHORAN SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 जून, 2021

सा.का.नि. 65.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1988 को, जहां तक उसका संबंध लेखाकार के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू में लेखाकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू, लेखाकार (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेशद्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति-इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लेखाकार	01* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है|	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परार्मश किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100रु) में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होनें उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे.—** 1.अपर निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू - अध्यक्ष; 2.उपनिदेशक, या सहायक निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू – सदस्य; 3.सहायक निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू - सदस्य; 4.प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू - सदस्य ।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/06/2019-कुष्ठ]

शोरन सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 30th June, 2021

G.S.R. 65.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1988, in so far as it relates to the post of Accountant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Accountant in the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare,Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Accountant (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Accountant	01*(2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group –'C', Non-Gazetted, Ministerial	Level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300)	Non-selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Upper Division Clerk in level 4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) with five years regular service in the grade.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Additional Director, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Chairman; 2. Deputy Director or Assistant Director, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu -Member; 3. Assistant Director, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu -Member; 4. Administrative Officer,Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/06/2019-Lep]

SHORAN SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 जून, 2021

सा.का.नि. 66.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलेपुट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1980 जहां तक इसका संबंध ड्राइवर पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान,चेंगलपट्टू में स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -(1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू, स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी)	01*(2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900 - 63200रु.)	लागू नहीं होता ।	18 और 25 वर्ष के बीच। केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण:-**आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख और अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (i) मोटर कार के लिए मान्य ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती या पुनर्नियोजनके लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलनद्वारा । सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए:

(ii) मोटर क्रियाविधि का ज्ञान (अभ्यर्थी को यान के साधारण दोष को ठीक करना आना चाहिए)। (iii) कम से कम तीन वर्ष का मोटर कार के ड्राइविंग का अनुभव होना चाहिए; और (iv) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा पास होना चाहिए। **वांछनीय :** होमगार्ड या सिविल स्वंयसेवक के रुप में तीन वर्ष की सेवा किया हो। **टिप्पण 1.** सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अर्हता को शिथिल किया जा सकता है। **टिप्पण 2** :-अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परार्मश किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन : केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900रु.) में नियमित प्रेषण राइडर (समूह ग) और समूह 'ग' कर्मचारियों में से, जो मोटरयान चलाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो जिसके न हो सकने पर नियमित आधार पर प्रेषण राइडर के पद धारण करने वाले में से, या केन्द्रीय सरकार के अन्य मन्त्रालयों में से वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रु.) के नियमित समूह 'ग' कर्मचारी जो स्तम्भ (7) में यथा वर्णित आवश्यक अर्हताएं और अनुभव रखता हो।	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टिसमिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1.उपनिदेशक,(एपीडीमीऔलाजी), केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू - अध्यक्ष 2.सहायक निदेशक (एपीडीमीऔलाजी), केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू - सदस्य; 3.सहायक निदेशक, (सूक्ष्मजीवविज्ञान), केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू -सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू - सदस्य ।	लागू नहीं होता।

सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सेवा निवृत्ति के कारण सशस्त्र बल कार्मिक या जो एक वर्ष के अन्दर रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाते हैं और विहित अपेक्षित अनुभव एवं अर्हता रखते हों, पर विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को सशस्त्र बल से निर्मुक्त होने की तारीख तक प्रतिनियुक्ति दी जाएगी; इसके पश्चात वे पुनर्नियोजन पर रह सकेंगे। **टिप्पण 1:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. ए-12018/08/2019-कुष्ठ]

शोरन सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 30th June, 2021

G.S.R. 66.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chingleput (Group C posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as it relates to the post of Driver, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver (Ordinary Grade), the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Staff Car Driver (Ordinary Grade) Group 'C' Post Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Staff Car Driver (Ordinary Grade).	01* (2021) *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted,Non-Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200).	Not applicable	Between 18 and 25 years of age. (Relaxable for the Government servants upto the age of forty years in case of general candidates and upto the age of forty-five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government from time to time). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from the candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh and Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Possession of a valid driving license for motor cars; (ii) Knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor-defects in vehicle). (iii) Experience of driving a motor car for at least three years; and (iv) 10th class pass from a recognised Board. **Desirable:** Three years' service as Home guard or Civil volunteer. **Note 1**: The qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority. **Note 2**: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority, for reason to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruit or re-employed	Direct recruitment failing which by deputation/ absorption. For Armed Forces Personnel: Deputation or re-employment

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Department Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation/absorption: From amongst the regular Dispatch Rider (Group C) and Group C employees in level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900) in Central Leprosy Teaching and Research Institute who possess valid driving license for Motor cars on the basis of a driving test to assess the competence to drive Motor cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group 'C' employees in level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900) in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7). **Deputation or re-employment for Armed Forces Personnels:** The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualification prescribed shall be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2**: The maximum age limit for appointment by deputation/ absorption shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Deputy Director (Epidemiology), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Chairman; 2. Assistant Director (Epidemiology), Central Leprosy Teaching and Research Institute,Chengalpattu - Member; 3. Assistant Director (Microbiology), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member; 4. Administrative Officer, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/08/2019-Lep]

SHORAN SINGH, Under Secy.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 29 जून, 2021

सा.का.नि. 67.—केंद्रीय सरकार, श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम अधिनियम, 1980 (1980 का 52) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम के साथ

परामर्श से श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम नियम, 1981 के नियम 7 के खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"(i) संस्थान, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ पदों का सृजन कर सकेगा।

(іक) संस्थान पदों को श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकेगा और समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार उनके पदनाम विनिर्दिष्ट कर सकेगा, परंतु वेतनमानो, भत्तों और सेवा फायदों के किसी साधारण पुनरीक्षण को संस्थान द्वारा केवल केंद्रीय सरकार से पूर्व अनुमोदन से ही प्रभावी किया जाएगा"।

[फा. सं. एआई/1/18/10/एससीटीआईएमएसटी/2020]

सुनील कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम नियम, 1981 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 379(अ) तारीख 4 जून, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 40, तारीख 15 मार्च, 2021 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

New Delhi, the 29th June, 2021

G.S.R. 67.— In exercise of the powers conferred by section 31 of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, Act, 1980 (52 of 1980), the Central Government, in consultation with the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, hereby makes the following rules further to amend the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, Rules,1981, namely:-

1.(1) These rules may be called the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum Rules, 1981, in rule 7, for clause (i), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(i) The Institute may create posts with the prior approval of the Central Government.

(ia) The institute may classify the posts into grades and specify their designations in accordance with the instructions of the Central Government issued from time to time, provided that any general revision of pay scales, allowances and service benefits shall be effected by the Institute only with the prior approval of the Central Government**".**

[F. No. No. AI/1/18/10/SCTIMST/2020]

SUNIL KUMAR, Jt. Secy.

Note : The Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum Rules, 1981 was published in Gazette of India, Part II, section 3, sub-section(i) vide notification number G.S.R,379(E), dated the 4th June, 1981 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 40, dated the 15th March, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.07.10 11:29:03 +05'30'